



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13022026-270125
CG-MH-E-13022026-270125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 741]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 10 फरवरी, 2026

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 5422 दिनांक 05/12/2025 के संबंध में, नीचे उल्लिखित
अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 779(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “दौड़-सोलापुर: रेलवे किमी 387/3-4 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 40, रेलवे किमी 391/8-9 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 42 और रेलवे किमी 477/3-4 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 61 के स्थान पर आरओबी का निर्माण” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन	एलसी क्र.	तालुका	गांव
1	उप-विभागीय अधिकारी क्र. 2 सोलापुर	40	माढा	माढा, वडशिंगे
		42	माढा	महातपुर
		61	दक्षिण सोलापुर	आलेगाव, आचेगाव

[फा. सं. G197/LC No. 40, 42 & 61/RSP/7A Corrigendum]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 10th February, 2026

**(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 5422 DATED 05/12/2025, THE SCHEDULE
MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN
PREVIOUS NOTIFICATION)**

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act, 2008

S.O. 779(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Daund-Solapur: Construction of ROBs in lieu of level crossings No. 40 at Railway Km 387/3-4, level crossings No. 42 at Railway Km 391/8-9 & level crossings No. 61 at Railway Km 477/3-4**” **Daund-Solapur Section in Solapur District** mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.N.	Competent authority land acquisition	LC No.	Taluka	Village
1	Sub-Divisional Officer No. 2, Solapur	40	Madha	Madha, Wadsinge,
		42	Madha	Mahatpur
		61	South Solapur	Alegao , Achegao

[F. No. G197/LC No. 40, 42 & 61/RSP/7A Corrigendum]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)